



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 27, गुरुवार, शाके 1947- सितम्बर 18, 2025  
Bhadra 27, Thursday, Saka 1947- September 18, 2025

भाग 5 (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 10, 2025

संख्या एफ.8(1)वी.डी.ए/न्यू.म/श्रम/आई.आर./2000/पाट-1/01287 /Rajkaj17550918 :-राजस्थान राज्य में प्रभावी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम-11 वर्ष, 1948) की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सपठित श्रम विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ.1 (8)वी.डी.ए/न्यू.म/श्रम/आई.आर./2000/12526 दिनांक 26.09.2000 के अनुसरण में एतद्वारा औद्योगिक श्रमिकों के मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के जयपुर, अलवर तथा भीलवाडा केन्द्रों द्वारा जुलाई, 2024 से जून, 2025 के लिए निर्मित किये गये हैं, को नियमानुसार प्रकाशित करता हूँ।

माह का नाम	सूचकांक आधार वर्ष 2016=100 श्रृंखला			परिवर्तित सूचकांक 1960=100		
	जयपुर केन्द्र	अलवर केन्द्र	भीलवाडा केन्द्र	जयपुर केन्द्र (कॉलम 2X62.89)	अलवर केन्द्र (कॉलम 3X62.89)	भीलवाडा केन्द्र (कॉलम 4X62.89)
1	2	3	4	5	6	7
जुलाई,2024	128.4	136.5	133.7	8075.08	8584.49	8408.39
अगस्त,2024	129.7	136.4	135.1	8156.83	8578.2	8496.44
सितम्बर,2024	130.2	137.2	135.5	8188.28	8628.51	8521.6
अक्टुबर,2024	131.3	140.8	136.1	8257.46	8854.91	8559.33
नवम्बर,2024	130.7	139.6	137.4	8219.72	8779.44	8641.09
दिसम्बर,2024	128.8	136.9	136.5	8100.23	8609.64	8584.48
जनवरी,2025	128.1	135.4	135.8	8056.21	8515.31	8540.46
फरवरी,2025	127.5	134.5	135.3	8018.48	8458.71	8509.02
मार्च,2025	127.7	134.4	135.8	8031.05	8452.42	8540.46
अप्रैल,2025	128.3	134.7	135.7	8068.79	8471.28	8534.17
मई,2025	127.9	134	135.3	8043.63	8427.26	8509.02
जून,2025	128.3	136.2	136.4	8068.79	8565.62	8578.2

				97284.55	102925.79	102422.66
जयपुर अलवर एवं भीलवाडा का औसत $302633 \div 36 = 8406.47$ या 8406 इस प्रकार गत वर्ष 8078 से तुलना करने पर 328 अकों की वृद्धि हो रही है।						

उक्तानुसार उल्लेखित महीनों के तीनों केन्द्रों के सूचकांकों का औसत योग 8406 घोषित करता हूँ। जो कि सम्बन्धित अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के निर्वाह व सूचकांक (cost of living index number) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5(6)श्रम/86 दिनांक 11.11.1999 एवं एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 25.01.2000 के द्वारा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय होगा।

पूजा पार्थ,  
श्रम आयुक्त एवं सक्षम अधिकारी,  
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948  
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।